सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

29 नवम्बर, 2018

षोडश विधान सभा 29 नवम्बर, 2018 ई0

------------- वृहस्पतिवार, तिथि ------------------

एकादश सत्र 08 अग्रहायण,1940(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-4(ii) परन्तुक के अधीन षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के अनागत कुल 163 तारांकित प्रश्नोत्तरों की मुद्रित प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य स्थगन है ।

अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

अभी कार्य स्थगन का समय है क्या ? अभी समय नहीं हैं न ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय, कार्य स्थगन मंजूर किया जाय ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, लगातार दो सत्र से हम देख रहे हैं कि नेता विरोधी दल के माईक को बंद कर दिया जाता है और दो बार से, हमको नहीं लगता है कि दो पैराग्राफ भी नेता विरोधी दल का ऑन रेकर्ड स्टेटमेंट रखा गया होगा । पहली बात तो यह महोदय कि कार्यस्थगन प्रस्ताव जो महबूब जी ने लाने का काम किया, लोगों ने उधर से कहा कि धैर्य रखिए-धैर्य रखिए । माफ कीजियेगा हमलोगों से धैर्य नहीं रखा जाता है, अगर बच्चियों के साथ अन्याय होता है और अपराधी लोग जो बलात्कार करने का काम करते हैं और राज्य सरकार के लोग उनको बचाने का काम करते हैं । यह हमसे सहन नहीं होता है । हमारे दल से और हमारे सहयोगी दलों से सहन नहीं होता है ।

(व्यवधान)

महोदय, दूसरी बात यह कि आज सत्र का चौथा दिन है । एक मिनट । लगातार सुप्रीम कोर्ट दो दिनों से राज्य सरकार को फटकार पर फटकार लगायी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सदन में आकर के जवाब नहीं देने का काम कर रहे हैं और

सुप्रीम कोर्ट कह रही है राज्य सरकार को गंभीर होने के लिए, कार्रवाई करने के लिए लेकिन राज्य सरकार के लोग और मुखिया पूरी तरीके से जो अपराधी लोग हैं, जो उनके खासमखास लोग हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं और सही से उन्होंने जांच नहीं कराया बल्कि और सबूतों को नष्ट करके पूरी तरीके से उलझाने की कोशिश किया । महोदय, एक मिनट ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : एक मिनट । मंत्री जी, बैठ जाइये । हम जानना चाहेंगे कि अबतक लगातार जो सेसन चलते आये हैं, बिहार में इतना घिनौना काम हुआ है, लगातार घोटाले पर घोटाले हो रहा है और अपराधी छवि के लोग.....

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, किस विषय पर डिबेट हो रहा है ? किस विषय पर डिबेट हो रहा है । सदन जानना चाहता है कि किस विषय पर नेता प्रतिपक्ष बहस में भाग ले रहे हैं...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : मेरी बात को खत्म होने दीजिए, फिर आपके उपर है कि आप कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करें या न करें ।

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : क्या अबतक पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार नहीं मानती है उन घोटालों को । अपराधी तबके जो उप मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं और इनके जो विधायक हैं ठेकेदार से रंगदारी मांगने का काम करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है । हम इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या अबतक हमलोगों ने कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा, जो ज्वलंत मुद्दा है, जो प्रदेश के सामने आया, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं कि सारे कार्यों को छोड़कर कार्यस्थगन प्रस्ताव को मंजूर करके बहस कराया जाय और मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगा जाय ? मुख्यमंत्री जी सदन में आकर जवाब देने का काम करें ।

अध्यक्ष : ठीक ।

(व्यवधान)

एक मिनट रूक जाइये न । एक मिनट रूकिए न ! आपको बोलने के लिए कहेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक महत्वपूर्ण बात उठायी है माईक चलने और बंद होने के संबंध में । मैं आसन से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माईक तो किसी माननीय सदस्य का भी कोई बंद नहीं करा सकता है तो फिर नेता प्रतिपक्ष तो इस सदन के और ज्यादा सम्मानित सदस्य होते हैं लेकिन माईक किनका चलेगा और किनका नहीं चलेगा, सदन नेता का भी, यानी स्पष्ट मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री का

भी माईक तभी चलता है, जब वे आसन के परमीशन से, आसन की इजाजत से बोलते हैं । माईक चलने की यह शुरू से स्थापित परम्परा है कि जो माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष तो और ज्यादे सम्मानित सदस्य हैं, सदन नेता भी अगर आसन की इजाजत से बोलते हैं, आसन की इजाजत से कोई सदस्य बोलते हैं तो उनका माईक कोई बंद नहीं कर सकता है, अगर ऐसा कहीं हुआ है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष आसन की इजाजत से या आसन मुखातिब है और आप बोल रहे हैं, वैसी कोई चीज प्रोसीडींग्स में नहीं गयी है तो आप आसन के संज्ञान में लाइयेगा, हम निश्चित उसपर उचित कार्रवाई करेंगे । दूसरी बात, जिन मुद्दों को आपने उठाया है, हमने आसन से कभी उन मुद्दों के महत्व या उसके बारे में कोई मेरिट पर टिप्पणी नहीं की है, हम सिर्फ यही कहते हैं जैसे कार्यस्थगन अभी महबूब आलम जी, हमको लगता है कि हमारी बात समाप्त होगी, वे अभी से खड़े होने के लिए तत्पर हैं और खत्म होने का इंतजार भी शायद वे नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कार्यस्थगन की सूचना बताना चाहते हैं तो आपके नियमावली में लिखा है कि कितने बजे आपको उसको बताना है । अभी तो आप ही लोगों का प्रश्न है और हम समझते हैं कि आप परसों से उठाकर देख लीजिए, जितने प्रश्न और ध्यानाकर्षण हमने स्वीकृत किये हैं, सब आप ही लोगों के हैं । सब जनहित से जुड़े हैं और आज भी, महबूब आलम जी, अगर सदन नहीं चलेगा तो आप ही के सुदामा प्रसाद जी का कितना राज्यहित का मामला सब ध्यानाकर्षण में है, उस पर कोई विमर्श नहीं हो पायेगा । आसन तो इतना ही चाहता है कि सदन नियम संगत ढंग से चले । हम पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि आसन मानता है और जानता है कि आप जनहित के ही मुद्दे उठाते हैं लेकिन उसपर सरकार का भी सही उत्तर लेकर, आखिर उसका निराकरण करने का ही ये विमर्श का केन्द्र है । आप उठाइए, उसपर कोई विधिवत ढंग से हमलोग अंतिम कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे जो समस्या आप उठा रहे हैं, उसका कोई निराकरण नहीं हो तो सिर्फ समस्या उठाकर सदन अव्यवस्थित हो जाय उससे तो जनता का भी कोई हित नहीं होगा। इसलिए आसन की सभी माननीय सदस्यों से यही गुजारिश, प्रार्थना, विनती है कि यह सदन सार्थक विमर्श का सदन है । विमर्श से ही जनहित के मुद्दों पर निष्कर्ष निकलते हैं, इसलिए अर्थपूर्ण विमर्श करें, जनहित के मामले में निष्कर्ष निकालें जिससे कि बात आगे चले । हम यही अनुरोध आपसे करते हैं और इजाजत हो तो प्रश्नकाल शुरू करें ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय....

अध्यक्ष : अब देखिए, वे खड़े ही हो गये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, आपने जो बताया, आपका पूरा हमलोग सम्मान करते हैं और हमलोगों को आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप न्यायपूर्वक सभी लोगों को देखने का काम कीजियेगा और आसन का भी यही काम है कि सबको एक नजरिए से और सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए लेकिन जो लोग वहां हैं, उन लोगों पर भरोसा नहीं होता है । या तो हो सकता है कि मेरा माईक जो है, खराब हो गया हो गया होगा, चूहा काट दिया होगा....

अध्यक्ष : नहीं-नहीं । आपके माईक की विशेष रूप से हम इसकी तकनीकी जांच करा देंगे । चलिए, अब प्रश्नोत्तर काल ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : इतना हो गया भाई वीरेन्द्र जी, आप तो पूरे सदन के भाई हैं....

(व्यवधान)

आपका तो इसलिए माईक नहीं चलता है कि आपको जरूरत नहीं है।

टर्न-2/शंभु/29.11.18

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय.......(व्यवधान)

अध्यक्ष : फिर आप खड़े ही हैं, आप इतना सुनने के बाद भी प्रश्न नहीं चलने दीजिएगा ? आप क्या सोच लिये हैं कि सुदामा जी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तक सदन नहीं चले ? आप अपने सदस्यों के साथ यही बर्ताव कर रहे हैं ? आप चलने तो दीजिए ।

(व्यवधान)

फिर देखिए ।

(इस अवसर पर भाकपा माले के मा0 सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

अध्यक्ष : उन्होंने ध्यानाकर्षण जो दिया है हमने स्वीकार किया है । ध्यानाकर्षण कुछ दिये हैं और प्ले कार्ड कुछ लिये हुए हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, यह सरकार एक भी प्रश्न का जवाब नहीं देती है, इस सरकार से जनता को उम्मीद नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न सं0-6 (श्री कुमार सर्वजीत) खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-6(श्री कुमार सर्वजीत)

श्री मदन सहनी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय..........

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के मा0सदस्यगण वेल में आ गये ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सबकी बात तो हम सुन रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि राज्य का इतना महत्वपूर्ण सवाल अल्पसूचित प्रश्न में भी है, ध्यानाकर्षण में भी है और अनेक प्रश्न लाये गये हैं इसलिए कम से कम जवाब तो सुनना चाहिए और प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उनका ही सवाल है, राज्य के ज्वलंत सवालों से जुड़ा हुआ है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपनी जगह पर जाकर प्रश्नों को पूछें और इस तरह से सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं और राज्य की जनता..........

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही आपलोग चलने दीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, यहां कई मंत्रीगण मौजूद हैं । हमारे आदरणीय विजेन्द्र बाबू जी भी मौजूद हैं, बहुत सीनियर नेता हैं । हमलोग हंगामा बंद कर देंगे, लेकिन हमारी एक मांग है कि जो ब्रजेश ठाकुर है, जो मुख्य आरोपी है उसका कॉल रेकार्ड सार्वजनिक कर दें, कोई जिम्मेदारी लेकर यह बात कह दे तो हमलोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जायेंगे और आप सदन चला सकते हैं, पूरी कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन ब्रजेश ठाकुर का कॉल रेकार्ड सार्वजनिक करवाइये ताकि पता चले किन-किन अधिकारियों से उसकी बात हुई, किन-किन मंत्रियों से उसकी बात हुई, कौन लोग उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं ये बात पता चलेगा और बच्चियों के साथ न्याय होगा । हम तो बस इतना ही मांग करते हैं । महोदय, हम चाहेंगे यहां मंत्री हैं, विजेन्द्र बाबू हैं, श्रवण बाबू हैं, नन्दकिशोर जी हैं, प्रेम जी हैं ये जवाब दे दें और क्या चाहिए ।

अध्यक्ष : अब कुमार सर्वजीत ।

श्री मदन सहनी,मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, भागलपुर ने पत्रांक 106 दिनांक 22.11.2018 ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की कार्यवाही 11.14 बजे पूर्वाह्न में स्थगित हुई ।

टर्न-3/ज्योति/29-11-2018

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । माननीय उप मुख्यमंत्री ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आकर एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में मैं, बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन '' राज्य का वित्त '' तथा '' राजस्व प्रक्षेत्र '' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्य मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन '' राज्य का वित्त '' तथा '' राजस्व प्रक्षेत्र '' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन '' राज्य का वित्त '' तथा '' राजस्व प्रक्षेत्र '' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा-22(3) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-182, दिनॉक 25-05-2018 की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा -22(3) के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या -एस0ओ0-182, दिनॉक 25-05-2018 की प्रति सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्य मंत्री : महोदय, मैं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-148, 149, दिनॉक-07-03-2018 / एस0ओ0-154, 155, 156, 157, 158 दिनॉक -23-03-2018 / एस0ओ0- 159, दिनॉक- 26-03-2018 / एस0ओ0-160, दिनॉक -27-03-2018 / एसओ0-163, 164, दिनॉक 03-04-2018 / एस0ओ0-179, दिनॉक- 18-04-2018 / एस0ओ0-180, दिनॉक-19-04-2018 / एस0ओ0-181, दिनॉक -14-05-2018/ एस0ओ0-183, 184, दिनॉक- 28-05-2018/ एस0ओ0-185, 186, दिनॉक-13-06-2018 / एस0ओ0-188, दिनॉक -19-06-2018 / एस0ओ0-203, 204, दिनॉक- 29-06-2018 एवं एस0ओ0-205, दिनॉक- 06-07-2018 की एक-एक प्रति सदन पटल रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-148, 149, दिनॉक-07-03-2018 / एस0ओ0-154, 155, 156, 157, 158 दिनॉक -23-03-2018 / एस0ओ0- 159, दिनॉक- 26-03-2018 / एस0ओ0-160, दिनॉक -27-03-2018 / एसओ0-163, 164, दिनॉक 03-04-2018 / एस0ओ0-179, दिनॉक- 18-04-2018 / एस0ओ0-180, दिनॉक-19-04-2018 / एस0ओ0-181, दिनॉक -14-05-2018/ एस0ओ0-183, 184, दिनॉक- 28-05-2018/ एस0ओ0-185, 186, दिनॉक-13-06-2018 / एस0ओ0-188, दिनॉक -19-06-2018 / एस0ओ0-203, 204, दिनॉक- 29-06-2018 एवं एस0ओ0-205, दिनॉक- 06-07-2018 की प्रति सदन पटल पर तीस दिनों तक रखी रहेगी ।

समितियों का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-239 के तहत लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या - 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685 एवं 686 की एक-एक प्रति को सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : सभापति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना से संबंधित समिति का 34 वॉं प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री अजय मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचयालन नियमावली के नियम-211 के तहत् राजकीय आश्वासन समिति का पथ निर्माण विभाग से संबंधित 254वॉं तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित 265वॉं प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनूपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या-42 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । अत: किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा ।

अब मैं मांग संख्या-39, आपदा प्रबंधन विभाग को लेता हूँ, जिस पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, इसके लिए 03(तीन) घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को इनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

क्रम सं0 दल का नाम		समय
1-राष्ट्रीय जनता दल	-	60 मिनट
2-जनता दल(यूनाईटेड)	-	51 मिनट
3-भारतीय जनता पार्टी	-	39 मिनट
4-इंडियन नेशनल कॉग्रेस	-	20 मिनट
5-सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	02 मिनट
6- लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट
7-हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा	-	01 मिनट
8-राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	-	02 मिनट
9-निर्दलीय	-	03 मिनट
	कुल	180 मिनट

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

श्री दिनेश चंद्र यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

‘‘ आपदा प्रबंधन विभाग’’ के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2018 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2018 के उपबंध के अतिरिक्त 14,75,25,00,000/-(चौदह अरब पचहत्तर करोड़ पच्चीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय । ’’

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री रामदेव राय, श्री भोला यादव, श्री नेमतुल्लाह, श्री समीर कुमार महासेठ से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं । श्री ललित कुमार यादव ... श्री ललित कुमार यादव ।

(व्यवधान)

मूव नहीं करेंगे । किसी माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव मूव नहीं किया इसलिए मूल प्रस्ताव पर विमर्श होगा । श्री विनोद प्रसाद यादव ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपदा प्रबंधन विभाग का जो अनुपूरक बजट आया है उसपर मैं सरकार की तरफ से समर्थन में खड़ा हुआ हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कार्य है वह माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जबसे बिहार की सत्ता संभाले, उस समय से बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग है, यह लोग जानने लगे हैं । इसलिए मैं सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो बिहार में व्यापक तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग को राज्य भर में उसको जन भावना के अनुसार बनाने का काम किया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बिहार को । ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही, 4 बजकर 55 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की कार्यवाही 2.10 बजे अप0 में स्थगित हुई)

टर्न-4/कृष्ण/29.11.2018

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग ।

<u>वित्तीय कार्य</u>

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन का विषय राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है । आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को ससमय राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है ।

आपदा प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे को अत्यधिक सुदृढ़ करना एवं अत्यंत कारगर बनाते हुए विभिन्न प्रकार के आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल एवं पारदर्शी तरीके से सहायता प्रदान करना तथा उनसे न्यूनतम क्षति हो, जिसका उपाय करना है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये और एक साथ बोलने लगे)

प्राकृतिक आपदा : विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़, अग्निकांड, भूकम्प, शीतलहर आदि से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त साहाय्य अनुदान के अतिरिक्त फसल क्षति अनुदान, गृह क्षति अनुदान, पशु क्षति आदि अनुदान देने की भी व्यवस्था की जाती है । प्राकृतिक आपदाओं से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को 4.00 (चार) लाख रूपये की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है । नदियों के कटाव, बाढ़ से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने का कार्य भी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जाता है ।

(व्यवधान जारी)

स्थानीय प्रकृति की आपदा : वर्ष 1915-16 से वज्रपात, लू, अतिवृष्टि एवं असमय भारी वर्षा, नाव दुर्घटना, नदियों, तालाबों, गड्ढ़ों में डूबने से होनेवाली मृत्यु, मानव जनित दुर्घटना यथा सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को दिनांक 20.03.2015 के प्रभाव से विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा के रूप में अधिसूचित करते हुए इन आपदाओं से होनेवाले जान-माल की क्षति में भी एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराया जाता है ।

(व्यवधान जारी)

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1891 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा स्थानीय प्रकृति के आपदाओं के तहत आंधी, तूफान एवं नदियों, तालाबों, गड्ढों के अतिरिक्त नहरों में डूबने से होनेवाली मृत्यु को भी स्थानीय प्रकृति की आपदा के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण के लिखित अंश को कार्यवाही का पार्ट बनाया जाय । साथ ही मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इसे पास करने की अपनी स्वीकृति देने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री का लिखित वक्तव्य कार्यवाही का पार्ट बनेगा ।

(परिशिष्ट-1 द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिये आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2018 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधियिम-2018 के उपबंध के अतिरिक्त 14,75,25,00,000 (चौदह अरब पचहत्तर करोड़ पच्चीस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,
मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2018 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2018 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

माँग संख्या-01 कृषि विभाग के संबंध में 2,26,44,33,000/- (दो अरब छब्बीस करोड़ चौवालीस लाख तैंतीस हजार) रूपये,

माँग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 1,47,74,29,000/- (एक अरब सैंतालीस करोड़ चौहत्तर लाख उनतीस हजार) रूपये,

माँग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 2,88,56,25,000/- (दो अरब अट्ठासी करोड़ छप्पन लाख पच्चीस हजार) रूपये,

माँग संख्या-04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 1,72,39,000/- (एक करोड़ बहत्तर लाख उनतालीस हजार) रूपये,

माँग संख्या-06 निर्वाचन विभाग के संबंध में 59,26,000/- (उनसठ लाख छब्बीस हजार) रूपये,

माँग संख्या-07 निगरानी विभाग के संबंध में 1,24,81,000/- (एक करोड़ चौबीस लाख इक्यासी हजार) रूपये,

माँग संख्या-09 सहकारिता विभाग के संबंध में 3,50,13,99,000/- (तीन अरब पचास करोड़ तेरह लाख निन्यानवे हजार) रूपये,

माँग संख्या-10 उर्जा विभाग के संबंध में 1,07,25,88,000/- (एक अरब सात करोड़ पच्चीस लाख अट्ठासी हजार) रूपये,

माँग संख्या-11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 15,25,00,000/- (पन्द्रह करोड़ पच्चीस लाख) रूपये,

माँग संख्या-12 वित्त विभाग के संबंध में 6,54,91,000/- (छः करोड़ चौवन लाख इक्यानवे हजार) रूपये,

माँग संख्या-15 पेंशन के संबंध में 23,00,000/- (तेइस लाख) रूपये,

माँग संख्या-16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 1,70,82,16,000/- (एक अरब सत्तर करोड़ बेरासी लाख सोलह हजार) रूपये,

माँग संख्या-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 5,47,93,000/- (पाँच करोड़ सैंतालीस लाख तिरानवे हजार) रूपये,

माँग संख्या-19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के संबंध में 6,34,06,000/- (छः करोड़ चौंतीस लाख छः हजार) रूपये,

माँग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 9,65,66,14,000/- (नौ अरब पैंसठ करोड़ छियासठ लाख चौदह हजार) रूपये,

माँग संख्या-21 शिक्षा विभाग के संबंध में 17,80,27,33,000/- (सतरह अरब अस्सी करोड़ सत्ताइस लाख तैंतीस हजार) रूपये,

माँग संख्या-22 गृह विभाग के संबंध में 79,33,39,000/- (उन्नासी करोड़ तैंतीस लाख उनतालीस हजार) रूपये,

माँग संख्या-23 उद्योग विभाग के संबंध में 51,79,51,000/- (इक्यावन करोड़ उन्नासी लाख इक्यावन हजार) रूपये,

माँग संख्या-25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 34,00,02,000/- (चौंतीस करोड़ दो हजार) रूपये,

माँग संख्या-26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 2,81,35,000/- (दो करोड़ इक्यासी लाख पैंतीस हजार) रूपये,

माँग संख्या-27 विधि विभाग के संबंध में 23,69,43,000/- (तेइस करोड़ उनहत्तर लाख तैंतालीस हजार) रूपये,

माँग संख्या-29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 14,15,71,000/- (चौदह करोड़ पन्द्रह लाख इकहत्तर हजार) रूपये,

माँग संख्या-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 75,000/- (पचहत्तर हजार) रूपये,

माँग संख्या-31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 3,00,000/- (तीन लाख) रूपये,

माँग संख्या-32 विधान मंडल के संबंध में 3,71,00,000/- (तीन करोड़ इक्हत्तर लाख) रूपये,

माँग संख्या-33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 80,89,75,000/- (अस्सी करोड़ नवासी लाख पचहत्तर हजार) रूपये,

माँग संख्या-35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 3,56,96,15,000/- (तीन अरब छप्पन करोड़ छियानवे लाख पन्द्रह हजार) रूपये,

माँग संख्या-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 1,000/- (एक हजार) रूपये,

माँग संख्या-37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 5,00,80,00,000/- (पाँच अरब अस्सी लाख) रूपये,

माँग संख्या-38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 8,05,80,000/- (आठ करोड़ पाँच लाख अस्सी हजार) रूपये,

माँग संख्या-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 49,19,52,000/- (उनचास करोड़ उन्नीस लाख बावन हजार) रूपये,

माँग संख्या-41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 52,28,50,000/- (बावन करोड़ अट्ठाइस लाख पचास हजार) रूपये,

माँग संख्या-42 ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 22,00,00,00,000/- (बाइस अरब) रूपये,

माँग संख्या-43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 1,00,59,50,000/- (एक अरब उनसठ लाख पचास हजार) रूपये,

माँग संख्या-44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 30,00,00,000/- (तीस करोड़) रूपये,

माँग संख्या-45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 1,28,11,59,000/- (एक अरब अट्ठाइस करोड़ ग्यारह लाख उनसठ हजार) रूपये,

माँग संख्या-46 पर्यटन विभाग के संबंध में 10,00,000/- (दस लाख) रूपये,

माँग संख्या-47 परिवहन विभाग के संबंध में 1,59,15,01,000/- (एक अरब उनसठ करोड़ पन्द्रह लाख एक हजार) रूपये,

माँग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 77,70,00,000/- (सतहत्तर करोड़ सत्तर लाख) रूपये,

मांग संख्या-49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 3,75,00,00,000/- (तीन हजार पचहत्तर करोड़) रूपये,

मांग संख्या-50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 10,00,00,000/- (दस करोड़) रूपये,

मांग संख्या-51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 5,52,24,80,000/-(पांच अरब बावन करोड़ चौबीस लाख अस्सी हजार)रूपये

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

टर्न-5/राजेश/29.11.18

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

"बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018"

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018" को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"अनुसूची इस विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"नाम इस विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक 26 नवम्बर 2018 को उपस्थापित

किया गया । द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में 10463,18,20,000 (दस हजार चार सौ तिरसठ करोड़ अठारह लाख बीस हजार) रुपये की राशि प्रावधान के लिए प्रस्तावित की गयी है........

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण के लिखित अंश को कार्यवाही का पार्ट बनाया जाय ।

अध्यक्षः माननीय उप मुख्यमंत्री के भाषण का लिखित वक्तव्य कार्यवाही का पार्ट बनेगा ।

(परिशिष्ट- 2 द्रष्टव्य)

अध्यक्षः प्रश्न यह है किः

"बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 स्वीकृत हुआ ।

निवेदन

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29.11.2018 को स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 110 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 30 नवंबर, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(सदन की बैठक 5.08 बजे अप0 में स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

अध्यक्ष महोदय,

आपदा प्रबंधन का विषय राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को ससमय राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

आपदा प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढाचे को अत्यधिक सुदृढ़ करना एवं अत्यन्त कारगर बनाते हुए विभिन्न प्रकार के आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल एवं पारदर्शी तरीके से सहायता प्रदान करना तथा उनसे न्यूनतम क्षति हो, जिसका उपाय करना है।

प्राकृतिक आपदा :– विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़, अग्निकांड, भूकम्प, शीतलहर आदि से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त साहाय्य अनुदान (Gratuitous Relief) के अतिरिक्त फसल क्षति अनुदान, गृह क्षति अनुदान, पशु क्षति आदि अनुदान देने की भी व्यवस्था की जाती है। प्राकृतिक आपदाओं से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को 4.00 लाख रू0 की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है। नदियों के कटाव/बाढ़ से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने का कार्य भी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जाता है।

स्थानीय प्रकृति की आपदा :– वर्ष 2015–16 से वज्रपात, लू, अतिवृष्टि एवं असमय भारी वर्षा, नाव दुर्घटना, नदियों/तालाबों/गड्ढ़ों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित दुर्घटना यथा सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को दिनांक–20.03.2015 के प्रभाव से विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करते हुए इन आपदाओं से होने वाले जान–माल की क्षति में भी एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराया जाता है।

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1891 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा स्थानीय प्रकृति के आपदाओं के तहत आँधी–तूफान एवं नदियों/तालाबों/गड्ढ़ों के अतिरिक्त नहरों में डूबने से होने वाली मृत्यु को भी स्थानीय प्रकृति के आपदा के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है।

गैर प्राकृतिक आपदा :– गैर प्राकृतिक आपदाओं के कारण सामूहिक रूप से मृत/घायल व्यक्तियों को भी अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। गैर प्राकृतिक आपदाओं के कारण सामूहिक रूप से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को भी एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश 4.00 लाख रू0 की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है।

प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन :– आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सरकारी कर्मियों एवं समुदाय के प्रशिक्षण, क्षमतावर्द्धन एवं जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। बाढ़ आपदा से राहत एवं बचाव हेतु एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0डी0आर0एफ0 के सहयोग से बचाव एवं राहत दलों, गोताखोरों, गृह रक्षकों एवं स्वयंसेवकों के साथ–साथ समुदाय को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से राज्य में भूकम्परोधी भवनों के निर्माण हेतु अभियंताओं, वास्तुविदों, भवन निर्माताओं एवं राजमिस्त्रियों का एक

बहुयामी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राज्य के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर एक Quick Medical Response Team का गठन किया जा रहा है।

भूकम्प संबंधी मॉकड्रिल :– भूकम्प के दौरान मानव जीवन की रक्षा हेतु मॉकड्रिल का कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। राज्य के सभी विद्यालयों में मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल कराया गया है। इसी प्रकार सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मियों को उनके कार्य स्थल पर भूकम्प के दौरान सुरक्षित करने हेतु उनके बीच भी व्यापक स्तर पर मॉकड्रिल कराया गया है। पटना शहर में अबतक पुराना सचिवालय, नया सचिवालय, सूचना भवन, विश्वेसरैया भवन, सिंचाई भवन, PMCH, विद्युत भवन, विधान सभा एवं पटना समाहरणालय के पदाधिकारियों एवं कार्मिकों के द्वारा भूकम्प के मॉकड्रिल का अभ्यास किया गया है।

2.

सुखाड़ के संदर्भ के सम्बन्ध में यह जानकारी देना चाहता हूँ

i. **सुखाड़ 2018 :–** इस वर्ष मॉनसून अवधि के दौरान राज्य में वर्षापात की स्थिति अत्यंत दयनीय रही। 1 जून 2018 से 15 अक्टूबर 2018 तक मात्र 789 मि0मी0 वर्षापात दर्ज की गई, जो इस अवधि के लिए निर्धारित की गई कुल औसत वर्षापात 1078.01 मि0मी0 से 26.08 प्रतिशत कम है। इस वर्ष वर्षापात अनियमित भी रही है। वर्षा की कमी के फलस्वरूप राज्य के अनेक प्रखण्डों में खरीफ फसल की रोपनी/बोआई लक्ष्य के अनुरूप नही हो सका। जिन क्षेत्रों में रोपनी/बोआई की गई, वहाँ भी अल्प वर्षापात के कारण उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप मॉनसून अवधि में वर्षा की कमी को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा पूरे राज्य में सर्वेक्षण कराया गया एवं **तीन मानक, यथा कृषि उपज दर में 33 प्रतिशत अथवा 33 प्रतिशत से अधिक उत्पादकता में कमी, खेतो में दरार पड़ना एवं फसलों के मुरझाने (wilting), निर्धारित करते हुए** प्रतिवेदन समर्पित किया गया। कृषि विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या–2898/आ0प्र0 दिनांक–15.10.2018 द्वारा राज्य के कुल 23 जिलों के 206 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। राज्य में सूखा की स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती रही। तदोपरान्त पुनः कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या–3048/आ0प्र0 दिनांक–03.11.2018 द्वारा कुल 16 जिलों के 69 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया।

इस प्रकार राज्य के कुल 24 जिलों के 275 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

ii. राज्य सरकार द्वारा सुखाड़ घोषित प्रखण्डों में सभी किसानों को कृषि विभाग के द्वारा कृषि इनपुट अनुदान के वितरण की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए आपदा

प्रबंधन विभाग द्वारा कृषि विभाग को 1430 करोड़ रू0 उपलब्ध करा **दिया गया है।** इसी प्रकार सुखाडग्रस्त घोषित प्रखण्डों में पेयजल की आपूर्ति का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा कराया जा रहा है, जिसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को 20 करोड़ रू0 उपलब्ध करा दिया गया है।

iii. राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रखण्डों में भी सुखाड़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। धान की रोपनी को बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा पाँच पटवन के लिए डीजल अनुदान भी उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार नहरो से भी अन्तिम छोर तक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी। कृषि उपयोग हेतु बिजली की भी निर्बाध आपूर्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है। मनुष्यों एवं पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है। राज्य में सूखा की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है।

3. राज्य सरकार द्वारा सुखाड़ घोषित प्रखण्डों में राहत कार्य हेतु निम्नानुसार राशि का उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि से कराया गया है:–

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र0	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष	बी0सी0एफ0 से उपबंधित राशि	उद्देश्य
1	2245–01–101–0006– अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान)	1430.00	सुखाड़ग्रस्त घोषित प्रखंडों के प्रभावित किसानों के क्षतिग्रस्त फसलों हेतु कृषि इनपुट अनुदान का वितरण
2	2245–01–102–0001– ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की ढुलाई	5.00	सुखाड़ग्रस्त घोषित प्रखंडों में पेयजल की आपूर्ति
3	2245–01–282–0002– जलापूर्ति हेतु कुँओं आदि की मरम्मति	15.00	
कुल		**1450.00**	

4. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से क्षति होने पर एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान दिया जाना है। इस हेतु बजट में उपबंधित राशि कम होने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से राशि उपबंधित कराने की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार जिलों में संविदा पर नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान एवं जिला स्थित आपदा प्रबंधन कार्यालयों के कार्यालय व्यय हेतु बजट में उपबंधित राशि के अतिरिक्त द्वितीय अनुपूरक आगणन से राशि उपबंधित कराने की आवश्यकता पड़ी। इस आलोक में द्वितीय अनुपूरक आगणन से निम्नानुसार राशि उपबंधित कराने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया:–

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र0	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष	द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्रस्तावित राशि	उद्देश्य
1	2245–02–101–0016–राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान	25.00	वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना जैसी अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से प्रभावितों हेतु अनुग्रह अनुदान
2	2245–80–001–0001–आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना	0.25	जिलों में संविदा पर नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान एवं जिला स्थित आपदा प्रबंधन कार्यालयों के कार्यालय व्यय हेतु
	कुल	25.25	

5. इस प्रकार द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ₹1475.25 करोड़ (एक हजार चार सौ पचहत्तर करोड़ पच्चीस लाख रूपये) उपबंधित कराना आवश्यक है।

अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि राज्यहित में ~~अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें।~~ अपनी सहमति दे कर इसे पास करें।

परिशिष्ट–2

<u>माननीय अध्यक्ष महोदय,</u>

वित्तीय वर्ष 2018–19 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को उपस्थापित किया गया। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में **10,463.1820** करोड़ रूपये की राशि प्रावधान के लिए प्रस्तावित की गयी है।

2. मूल बजट 2018–19 में उपबंधित निधि के अतिरिक्त द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के भार को मिलाकर पूरी स्थिति निम्नवत है :–

(राशि करोड़ रू0 में)

(क) मूल बजट उपबंध में राशि –	176990.2700
(ख) प्रथम अनुपूरक बजट में राशि–	19771.4218
(ग) द्वितीय अनुपूरक बजट में राशि–	10463.1820
योग–	**207224.8738**

(दो लाख सात हजार दो सौ चौबीस करोड़ सतासी लाख अड़तीस हजार रूपये)

3. द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण 2018–19 में प्रस्तावित व्यय निम्नवत् है:–

(क)	**वार्षिक स्कीम मद में :–**	**7,601.2701 करोड़ रूपये**
(ख)	**स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में (प्रभृत सहित) :–**	**2,767.7896 करोड़ रूपये**
(ग)	**केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में :–**	**94.1223 करोड़ रूपये**
	कुल योग :–	**10,463.1820 करोड़ रूपये**

(क) <u>वार्षिक स्कीम</u>

वार्षिक स्कीम के अन्तर्गत 7,601.2701 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक आगणन में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें मुख्य प्रावधान निम्नवत् है:–

- 1066.88 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु,
- 976.07 करोड़ रूपये सर्व शिक्षा अभियान स्कीम हेतु,
- 617.33 करोड़ रूपये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु,
- 500.00 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना हेतु,
- 388.68 करोड़ रूपये एकीकृत बाल विकास सेवाएं हेतु,
- 360.00 करोड़ रूपये मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु,

- 318.23 करोड़ रूपये बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु,
- 318.00 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना हेतु,
- 315.78 करोड़ रूपये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु,
- 264.33 करोड़ रूपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु,
- 230.00 करोड़ रूपये सिंचाई सृजन परियोजनाएं हेतु,
- 175.00 करोड़ रूपये बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना अन्तर्गत डीजल अनुदान हेतु,
- 166.00 करोड़ रूपये मध्याहन भोजन योजना हेतु,
- 159.00 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हेतु,
- 145.00 करोड़ रूपये बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं हेतु,
- 125.51 करोड़ रूपये आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन हेतु,
- 120.00 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना हेतु,
- 90.00 करोड़ रूपये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु,
- 80.00 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हेतु,
- 75.92 करोड़ रूपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु,
- 73.90 करोड़ रूपये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना हेतु,
- 68.46 करोड़ रूपये नीली क्रांति–मत्स्य पालन विकास हेतु,
- 61.76 करोड़ रूपये राष्ट्रीय पोषाहार मिशन हेतु,
- 60.00 करोड़ रूपये समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु,
- 52.00 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना–वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के सड़क सम्पर्क परियोजना हेतु,
- 50.00 करोड़ रूपये डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी हेतु,
- 50.00 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना हेतु,
- 50.00 करोड़ रूपये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण हेतु,
- 46.41 करोड़ रूपये पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण हेतु,
- 42.00 करोड़ रूपये अक्षर आंचल योजना हेतु,
- 42.00 करोड़ रूपये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र के निर्माण हेतु,
- 40.00 करोड़ रूपये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर हेतु,
- 30.00 करोड़ रूपये बिहार महादलित विकास मिशन हेतु,
- 27.00 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु,

- 25.00 करोड़ रूपये स्टेट डाटा सेंटर 2.0 हेतु,
- 25.00 करोड़ रूपये सरदार पटेल भवन के निर्माण हेतु,
- 21.11 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु
- 20.00 करोड़ रूपये उच्च विद्यालयों के उन्नयन कार्यक्रम हेतु,
- 20.00 करोड़ रूपये कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी हेतु,
- 20.00 करोड़ रूपये उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण हेतु,
- 15.12 करोड़ रूपये प्री मैट्रिक छात्रवृति हेतु,
- 15.00 करोड़ रूपये इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी सिटी हेतु,
- 11.00 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना हेतु,
- 10.00 करोड़ रूपये डोमेन स्किलिंग कार्यक्रम–हुनर योजना हेतु,
- 10.00 करोड़ रूपये फ्रोजन सिमेन बैंक हेतु,
- 10.00 करोड़ रूपये बिहार पशु विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय हेतु,
- 10.00 करोड़ रूपये बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी हेतु
- 10.00 करोड़ रूपये पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु,
- 10.00 करोड़ रूपये तारेगना में आर्यभट्ट वेधशाला के निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में वार्षिक स्कीम मद में कुल 7601.2701 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें प्रत्यर्पण के विरूद्ध 2297.6862 करोड़ रूपये का प्रावधान है। योजना एवं विकास विभाग द्वारा वार्षिक स्कीम अन्तर्गत दिये गये कुल अतिरिक्त उद्व्यय तथा प्रत्यर्पण के विरूद्ध विभागवार/मांगवार प्रस्तावित राशि को निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है–

राशि करोड़ रूपये में

क्र०सं०	विभाग	प्रस्ताव	अतिरिक्त उद्व्यय	प्रत्यर्पण	निवल राशि (अतिरिक्त भार)
1	2	3	4	5	6
1	कृषि	226.4433	10.0000	196.4433	30.0000
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन	144.3319	95.2561	51.2261	93.1058
3	भवन निर्माण	288.5622		131.4117	157.1505
4	सहकारिता	350.0000	350.0000		350.0000
5	वित्त विभाग	0.5000		1.5000	-1.0000
6	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	15.1200	15.1200		15.1200
7	खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण	0.0112			0.0112

राशि करोड़ रूपये में

क्र०सं०	विभाग	प्रस्ताव	अतिरिक्त उद्व्यय	प्रत्यर्पण	निवल राशि (अतिरिक्त भार)
1	2	3	4	5	6
8	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन	3.9413		9.8528	-5.9115
9	स्वास्थ्य	800.0000	600.0000	260.0000	540.0000
10	शिक्षा	1326.5725	1250.0000	74.0725	1252.5000
11	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	34.0002		34.0002	0.0000
12	योजना एवं विकास	338.0000	318.0000		338.0000
13	ग्रामीण कार्य	500.0000		500.0000	0.0000
14	ग्रामीण विकास	2200.0000	2200.0000		2200.0000
15	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	72.2000	50.0000	22.2000	50.0000
16	परिवहन	159.0001	150.0000	9.0001	150.0000
17	नगर विकास एवं आवास	5.1500	37.1500		5.1500
18	जल संसाधन	375.0000	375.0000		375.0000
19	लघु जल संसाधन	10.0000	10.0000		10.0000
20	समाज कल्याण	551.6251	400.0000	1007.9594	400.0000
21	पर्यटन	0.0200		0.0200	0.0000
22	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण	30.0000	30.0000		30.0000
23	सामान्य प्रशासन	10.0000	70.0000		10.0000
24	पथ निर्माण	52.0000	52.0000		52.0000
25	श्रम संसाधन	0.0000	50.0000		0.0000
26	राजस्व एवं भूमि सुधार	34.0700	34.0700		34.0700
27	उद्योग	50.0000	50.0000		50.0000
28	गृह	24.7223	69.7222	0.0001	24.7222
29	उच्च न्यायालय	0.0000	20.0000		0.0000
	कुल	**7601.2701**	**6236.3183**	**2297.6862**	**6159.9182**

वार्षिक स्कीम अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक में कुल प्रावधानित राशि 7601.2701 करोड़ रूपये में कुल 6159.9182 करोड़ रूपये के अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता होगी।

(ख) <u>स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय</u>

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद (प्रभृत राशि सहित) के अन्तर्गत 2767.7896 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक आगणन में प्रस्तावित किया गया है जिसमें मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैः–

- 1450.00 करोड़ रूपये प्राकृतिक आपदा मद के कारण 275 प्रखंडों के सुखाग्रस्त घोषित किये जाने के फलस्वरूप कृषि इनपुट अनुदान, पेयजल की सुविधा हेतु,
- 450.26 करोड़ रूपये राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनुदान हेतु,
- 175.00 करोड़ रूपये मानसून में वर्षा की कमी के कारण सिंचाई हेतु डीजल अनुदान मद में,
- 127.53 करोड़ रूपये चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट 1937 से संबंधित सहायक अनुदान वेतन मद में,
- 170.72 करोड़ रूपये पंचायतीराज संस्थाओं को पंचम राज्य वित्त आयोग के बकाया राशि के भुगतान हेतु,
- 105.66 करोड़ रूपये स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के वेतनादि के भुगतान हेतु,
- 72.55 करोड़ रूपये शहरी स्थानीय निकायों को पंचम राज्य वित्त आयोग के बकाया राशि के भुगतान हेतु,
- 62.24 करोड़ रूपये बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इन्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु,
- 57.03 करोड़ रूपये साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत इन्ट्री टैक्स की प्रतिपूर्ति हेतु,
- 50.00 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पॉवर हॉल्डिंग क० लि० को सात निश्चिय अन्तर्गत हर घर नल योजना अन्तर्गत राशि के भुगतान हेतु,
- 28.40 करोड़ रूपये नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों एवं व्याख्याताओं के वेतन आदि के भुगतान हेतु,
- 13.84 करोड़ रूपये बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि० में निवेश हेतु,
- 11.50 करोड़ रूपये न्याय व्यवस्था में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए न्यायिक क्षमता विस्तार हेतु,
- 10.15 करोड़ रूपये जिला पुलिस कार्यकारी दल के भाड़े की गाड़ी के भुगतान हेतु है।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (प्रभृत सहित) अन्तर्गत 2767.7896 करोड़ रूपये प्रावधान के लिए प्रस्तावित राशि में 1822.05 करोड़ रूपये की राशि प्रत्यर्पण के विरूद्ध की जा रही है।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत विभागवार प्रस्तावित राशि को निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है–

राशि करोड़ रूपये में

क्र०सं०	विभाग	प्रस्ताव	प्रत्यर्पण	निवल राशि (अतिरिक्त भार)
1	**2**	**3**	**4**	**5 (3-4)**
1	पशु एवं मत्स्य संसाधन	0.1792		0.1792
2	भवन निर्माण	0.0003		0.0003
3	मंत्रिमंडल सचिवालय	1.7239		1.7239
4	राज्यपाल सचिवालय	1.5700		1.5700
5	निर्वाचन	0.5926		0.5926
6	निगरानी	1.2481		1.2481
7	सहकारिता	0.1399		0.1399
8	ऊर्जा	107.2588		107.2588
9	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.1300		0.1300
10	वित्त	14.7815		14.7815
11	सूद भुगतान	1.3223		1.3223
12	पेंशन	0.2300		0.2300
13	पंचायती राज	170.8216		170.8216
14	खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण	5.2908		5.2908
15	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन	0.8483		0.8483
16	स्वास्थ्य	105.6614		105.6614
17	शिक्षा	453.7008		453.7008
18	गृह	39.8456		39.8456
19	उद्योग	1.7951		1.7951
20	श्रम संसाधन	2.8135		2.8135
21	विधि	23.6943		23.6943
22	उच्च न्यायालय	9.1456		9.1456
23	खान एवं भूतत्व	14.1571		14.1571

राशि करोड़ रूपये में

क्र०सं०	विभाग	प्रस्ताव	प्रत्यर्पण	निवल राशि (अतिरिक्त भार)
1	2	3	4	5 (3-4)
24	अल्पसंख्यक कल्याण	0.0075		0.0075
25	संसदीय कार्य	0.0300		0.0300
26	विधान मंडल	3.7100		3.7100
27	सामान्य प्रशासन	71.6440		71.6440
28	बिहार लोक सेवा आयोग	1.4500		1.4500
29	योजना एवं विकास	4.5653		4.5653
30	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	0.0001		0.0001
31	ग्रामीण कार्य	0.8000		0.8000
32	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	8.0580		8.0580
33	आपदा प्रबंधन	1475.2500	1822.0000	-346.7500
34	राजस्व एवं भूमि सुधान	15.1252		15.1252
35	पथ निर्माण	0.2850		0.2850
36	विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी	28.3950		28.3950
37	गन्ना उद्योग	128.1159		128.1159
38	पर्यटन	0.0800		0.0800
39	परिवहन	0.1500		0.1500
40	नगर विकास एवं आवास	72.5500		72.5500
41	समाज कल्याण	0.6229	0.0579	0.5650
कुल		**2767.7896**	**1822.0579**	**945.7317**

इस प्रकार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में कुल 945.7317 करोड़ रूपये के अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता होगी।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम

केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम में अतिरिक्त प्रावधान 94.1223 करोड़ रूपये का है जिसमें

- 60.00 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हेतु,
- 12.30 करोड़ रूपये नेशन वाईड इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम (निर्भया) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु है।

केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अन्तर्गत विभागवार प्रस्तावित राशि को निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है–

राशि करोड़ रूपये में

क्र०सं०	विभाग	प्रस्ताव	प्रत्यर्पण	निवल राशि/ अतिरिक्त वित्तीय भार
1	2	3	4	5
1	पशु एवं मत्स्य संसाधन	3.2318		
2	खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण	0.1773		
3	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन	1.5510		
4	स्वास्थ्य	60.0000		60.0000
5	योजना एवं विकास	14.3962		
6	गृह	14.7660		
कुल		**94.1223**	**0.0000**	**60.0000**

केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक में कुल प्रावधानित राशि 94.1223 करोड़ रूपये में कुल 60.00 करोड़ रूपये के अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता होगी।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य को वर्ष 2018–19 के अन्त तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक की सीमा में रखना है। वार्षिक स्कीम में कटौती की गयी राशि के उपरांत द्वितीय अनुपूरक में प्रस्तावित राशि तथा केन्द्रीय सहायता अनुदान में प्राप्त होने वाली राशि को संशोधित करने के उपरांत राजकोषीय घाटा 29,210.37 करोड़ रूपये का है, जो संशोधित राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 5,43,627 करोड़ रूपये का 5.37 प्रतिशत होता है। यह निर्धारित 3.0 प्रतिशत की अधिसीमा से अधिक है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा वार्षिक स्कीम में चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रत्यर्पण होने वाली राशि के आलोक में राजकोषीय घाटा निर्धारित अधिसीमा 3.0 प्रतिशत के अन्तर्गत रखने का प्रयास किया जाएगा।

बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2018 द्वारा कुल 10,463.1820 करोड़ रूपये की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है।

विनियोजन राशि में 10,440.2152 करोड़ रूपये मतदेय एवं 22.9668 करोड़ रूपये भारित है। कुल प्रस्तावित राशि में राजस्व मद में 8,239.5173 करोड़ रूपये एवं पूंजीगत मद में 2,223.6647 करोड़ रूपये है।

द्वितीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2018 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदन से अनुरोध है कि द्वितीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2018 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ध्वनिमत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे।

जय हिन्द।

****